

उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05 वर्ष 2013)

अनुक्रमणिका

घाराए	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	सक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	2
2	परिभाषाए	2-3
3	राज्य प्राधिकृत समिति एवं जिला प्राधिकृत समिति का गठन एवं अधिकारिता	3
4	नोडल एजेंसी	4
5	नोडल एजेंसी के शक्तियां व कृत्य	4-5
6	संयुक्त आवेदन- प्ररूप	6
7	स्वप्रमाणन	6
8	आवेदन प्रस्तुत करने एवं निस्तारण करने की प्रक्रिया	6-8
9	डीमड रवीकृति	8
10	आवेदन पर कार्यवाही करने के लिए समय सीमा	8
11	सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति	8
12	सम्बन्धित विभाग या प्राधिकारी की बाध्यताए	8-9
13	अनुज्ञापन के लिए आवेदन के निस्तारण में विलम्ब	9
14	अनुकूलित पैकेजों, रियायतों, छूटों या शिथिलीकरण की मंजूरी	9
15	रियायतों की वसूली	9
16	अपील	9
17	दण्ड	10
18	कम्पनियों आदि द्वारा अपराध	10
19	पुनरीक्षण	10-11
20	सदभावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण	11
21	गोपनीयता	11
22	अन्त कालीन उपबन्ध	11
23	अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना	11
24	बटिनाइयों के निराकरण की शक्ति	12
25	नियम बनाने की शक्ति	12

The Uttarakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance Act, 2014
[Uttarakhand Act No. 05 of 2013]

INDEX

Sections	Particular	Page No.
1.	Short title, extent and Commencement	13
2.	Definitions	13-14
3.	Constitution and Jurisdiction of State Empowered Committee and District Empowered Committee	14-15
4.	Nodal Agency	15
5.	Powers and functions of Nodal Agency	15-17
6.	Combined Application form	18
7.	Self Certification	18
8.	Procedure for Filing and Disposal of application	18-20
9.	Deemed approval	20
10.	Time limits for processing of application	21
11.	Appointment of a Nodal Officer by Competent Authority	21
12.	Obligations of concerned department or authority	21
13.	Delay in processing the applications for clearance	21-22
14.	Grant of customized packages, concessions, exemptions or relaxations	22
15.	Recovery of concession	22
16.	Appeal	22
17.	Penalty	23
18.	Offences by companies etc.	23
19.	Revision	24
20.	Protection of action taken in good faith	24
21.	Confidentiality	24
22.	Transitional Provisions	24-25
23.	Act to override other laws	25
24.	Power to remove difficulty	25
25.	Power to make rules	25



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 28 जनवरी, 2013 ई0

माघ 08, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 30/XXXVI(3)/2013/62(1)/2012

देहरादून, 28 जनवरी, 2013

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक, 2012 पर दिनांक 24 जनवरी, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 05 वर्ष, 2013 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05 वर्ष 2013)

उत्तराखण्ड राज्य में उद्यम स्थापित करने के लिये आवश्यक समयबद्ध अनुज्ञापन, अनुज्ञायें व स्वीकृतियाँ प्रदान करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 है।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- परिभाषाएं
2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
- (क) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 अभिप्रेत है;
- (ख) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;
- (ग) "उद्यम" से वस्तुओं की किसी भी रीति से विनिर्माण या उत्पादन में, या कोई सेवा या सेवायें उपलब्ध कराने या देने में लगा हुआ कोई औद्योगिक उपक्रम या कोई कारबार समुत्थान, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये, अभिप्रेत है;
- (घ) "जिला प्राधिकृत समिति" से धारा 3 के अधीन गठित जिला प्राधिकृत समिति अभिप्रेत है;
- (ङ) "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;
- (च) "राज्य प्राधिकृत समिति" से धारा 3 के अधीन गठित जिला प्राधिकृत समिति अभिप्रेत है;
- (छ) "नोडल एजेंसी" से धारा 4 में निर्दिष्ट नोडल एजेंसियाँ अभिप्रेत है;
- (ज) "विनिर्धानकर्ता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी नये उद्यम के या किसी विद्यमान उद्यम में, आये या लाम या सामान्य सामाजिक हित की प्राप्ति के लिए विस्तार, आपुनिकीकरण या विकीकरण करने के लिए पूंजी विनिधान करता है;
- (झ) "अधिसूचना" से उत्तराखण्ड राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और शब्द "अधिसूचित" का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;
- (ञ) "अनुज्ञा" से उत्तराखण्ड राज्य में किसी उद्यम की स्थापना के सम्बन्ध में किसी रक्षक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अनुज्ञापन, आवंटन, सहमति अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण, नामांकन, अनुज्ञापित इत्यादि का मंजूर या जारी किया जाना अभिप्रेत है और इसमें ऐसी समस्त अनुज्ञापें सम्मिलित होंगी, जो किसी उद्यम द्वारा उसके कार्य प्रारम्भ

करने तक किसी भी उत्तराखण्ड विधि के अधीन अपेक्षित हो;

- (ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ठ) "रियायत" से राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक उपक्रम या औद्योगिक उपक्रमों के समूहों को दी जाने वाली सुविधा अभिप्रेत है;
- (ड) "सक्षम प्राधिकारी" से सरकार के कोई विभाग या एजेन्सी, स्थानीय प्राधिकारी, संवैधानिक निकाय (इकाई), राज्य के स्वामित्व वाले निगम, ग्राम पंचायत, नगर पालिका या राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कोई भी प्राधिकारी या एजेन्सी, जिनमें राज्य में उद्यम स्थापित करने और संचालन प्रारम्भ करने के लिए, अनुज्ञा प्रदान करने या जारी करने की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ निहित हैं, अभिप्रेत है।

राज्य प्राधिकृत
समिति एवं जिला
प्राधिकृत समिति
का गठन एवं
अधिकारिता

3. (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे सदस्यों को शामिल कर, जो उसमें विहित किए गये हैं, राज्य स्तर पर एक राज्य प्राधिकृत समिति और राज्य के प्रत्येक जिले के लिए जिला प्राधिकृत समिति का गठन कर सकेगी।
- (2) राज्य प्राधिकृत समिति और जिला प्राधिकृत समिति की अधिकारिकता- विनिधान का वह वर्ग, जिसके लिए या विनिधान की सीमाएं, जहां तक राज्य प्राधिकृत समिति या किसी जिला प्राधिकृत समिति को अनुज्ञा के लिए आवेदनों पर विचार करने के लिए, और उन्हें निपटाने की अधिकारिकता ऐसी होगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जायं।
- (3) समिति के सदस्य व्यक्तिगत रूप से मीटिंग में भाग लेंगे और भाग लेने में असमर्थ होने की स्थिति में एक वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को लिखित रूप से अधिकृत कर, उचित निर्णय लेने के लिए बैठक में भाग लेने हेतु नियुक्त करेंगे।
- (4) (क) राज्य प्राधिकृत समिति या यथास्थिति, जिला प्राधिकृत समिति किसी भी उद्यम के स्थापनार्थ प्रस्ताव का परीक्षण करेगी और एक निर्णय लेगी तथा अपने निर्णय से जल्दमी और सम्बन्धित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे समय के भीतर, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय, अवगत करायेगी,
- (ख) समिति ऐसे समयों और ऐसे स्थानों पर बैठक करेगी एवं अपने कार्य निष्पादन के लिए ऐसी पद्धति अपनाएगी जैसा कि विहित किया जाय,
- (ग) राज्य की किसी भी विधि की व्यवस्थाओं से रियायत देने या छूट स्वीकृत करने या शिथिलीकरण के आवेदनों का राज्य प्राधिकृत समिति परीक्षण करेगी, यदि कोई हो तो विभागों की टिप्पणियों का संज्ञान लेगी, जहां कहीं आवश्यकता हो विनिधानकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करेगी और सरकार को अपनी सन्तुष्टियां देगी।

- नोडल एजेंसी 4. (1) उद्योग निदेशालय में राज्य उद्योग मित्र प्रकोष्ठ राज्य प्राधिकृत समिति के लिए नोडल एजेंसी होगा।
(2) जिला उद्योग केन्द्र, जिला प्राधिकृत समिति के लिए नोडल एजेंसी होंगे।

- नोडल एजेंसी के शक्तियां व कृत्य 5. (1) सरकार और राज्य प्राधिकृत समिति या यथास्थिति, जिला प्राधिकृत समिति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्याधीन रहते हुए नोडल एजेंसी की शक्तियां व कृत्य निम्नलिखित होंगे :-

(क) समिति उसके सम्मुख रखे गये परियोजनाओं पर स्वीकृति देने के लिए अन्तिम प्राधिकारी होगी। समिति द्वारा दी गई स्वीकृतियां सभी सम्बन्धित विभागों व प्राधिकारियों पर बाध्यकारी होगी और ऐसे विभाग या प्राधिकारी निर्धारित समय के भीतर-भीतर उद्योगी द्वारा केन्द्र या राज्य अधिनियम के प्राविधानों और उनमें बनाए गए नियमों के अनुपालन के अधीन आवश्यक अनुज्ञापन जारी करेगी;

(ख) यदि सक्षम प्राधिकारी धारा 10 के अधीन विहित कालावधि के भीतर-भीतर ऐसे आवेदनों पर कार्यवाही करने और उनका निपटारा करने में विफल रहता है, तो किसी उत्तराखण्ड विधि में अंतर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य प्राधिकृत समिति या, यथास्थिति, जिला प्राधिकृत समिति को, उत्तराखण्ड विधि के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदनों पर विचार करने और उनका निपटारा करने की शक्ति होगी। इस प्रयोजन के लिए ऐसी विधि में सक्षम प्राधिकारी के प्रति निर्देश का अर्थ, राज्य प्राधिकृत समिति या, यथास्थिति, जिला प्राधिकृत समिति के प्रति निर्देश को सम्मिलित करते हुए लगाया जायेगा :

परन्तु यह कि जहां समिति तुरन्त बैठक करने में या आवेदन पर विचार करने में अन्याया असमर्थ है, वहां संबंधित समिति का अध्यक्ष, लेखबद्ध कारणों से, आवेदन को विनिश्चित कर सकेगा और की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट समिति की आगामी बैठक में उसको प्रस्तुत कर सकेगा और समिति के किसी निश्चय के अध्याधीन रहते हुए, ऐसे आवेदन पर अध्यक्ष का विनिश्चय, सभी प्रयोजनों के लिए इस धारा के अधीन संबंधित समिति का निश्चय समझा जायेगा;

(ग) आवेदन प्रारूपों को पूर्ण करने में विनिश्चयकर्ताओं की सहायता करना, पूर्ण किये गये आवेदनों को अभिसूचीकृत करना और ऐसे आवेदन को धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर कार्यवाही करने और निपटारे के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारियों को अग्रैपित करना।

(घ) आवेदनों की प्रारिथति मानीटर करना और आवेदनों की प्रारिथति की रिपोर्ट को

- राज्य प्राधिकृत समिति या यथास्थिति जिला प्राधिकृत समिति के सक्षम रखना।
- (ब) जहां संबंधित सक्षम प्राधिकारी धारा 10 के अधीन विहित कालावधि के भीतर-भीतर आवेदन पर विचार करने और उसका निपटारा करने में विफल रहा है, वहां विनिघानकर्ता के आवेदन को राज्य प्राधिकृत समिति या यथास्थिति, जिला प्राधिकृत समिति के समक्ष उसके विनिश्चय के लिए रखना,
- (च) धारा 14 में यथा उल्लिखित शिथिलीकरणों, छूटों और रियायतों के लिए विनिघानकर्ता से आवेदन प्राप्त करना,
- (छ) धारा 14 में यथा उल्लिखित शिथिलीकरणों, छूटों और रियायतों के लिए विनिघानकर्ता से प्राप्त आवेदनों पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों की टिप्पणियां प्राप्त करना;
- (ज) संबंधित विभाग या प्राधिकारी की टिप्पणियां, यदि कोई हो, को धारा 10 के अधीन विहित कालावधि के भीतर-भीतर राज्य प्राधिकृत समिति को प्रस्तुत करना;
- (झ) यदि विहित समय सीमा में संबंधित विभाग या प्राधिकारियों से कोई भी टिप्पणी प्राप्त न हो तो धारा 14 में यथा उल्लिखित शिथिलीकरणों, छूटों और रियायतों के लिए विनिघानकर्ता से प्राप्त आवेदन को धारा 10 के अधीन विहित कालावधि के भीतर-भीतर, राज्य प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत करना,
- (ञ) राज्य प्राधिकृत समितियां या यथास्थिति जिला प्राधिकृत समिति को कार्यालयी सहायता प्रदान करेना;
- (ट) पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना;
- (ठ) राज्य प्राधिकृत समिति और जिला प्राधिकृत समिति को ऐसे अन्य कृत्य, जो विहित किये जायें, समनुदेशित किये जा सकेंगे।
- (2) राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी भी उपधारा (1) में उल्लिखित कार्य करेगी और इसके अतिरिक्त उद्यमियों को निम्न सम्बन्धित पर धौरा देने के लिए एक उद्यमी निर्देशिका तैयार करेगी और उसके नियमित रूप से अद्यतन करेगी :-
- (क) राज्य और केन्द्रीय औद्योगिक नीतियां;
- (ख) विभागों और प्राधिकारियों से आवश्यक अनुज्ञापन प्राप्त करने की प्रक्रिया;
- (ग) राज्य की औद्योगिक प्रास्थिति और उपलब्ध विशेषता पर सूचना;
- (घ) अधिनियम की मुख्य विशेषताएं और एक औद्योगिक उपक्रम पर लागू होने वाले उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम, और
- (ङ) उद्यमियों के लिए उपयोगी अन्य कोई जानकारी।

- संयुक्त आवेदन-
प्ररूप
6. (1) सरकार, या ती, भौतिक या इलैक्ट्रॉनिक रूप विधान में, एक ऐसा आवेदन प्ररूप विहित करने के लिए सक्षम होगी, जो—
(क) केन्द्रीय विधियों के अधीन प्ररूपों, और
(ख) उत्तराखण्ड विधियों के अधीन विद्यमान प्ररूपों या विद्यमान प्ररूपों के स्थान पर नये प्ररूपों या उपातरित प्ररूपों से मिलकर बनेगा।
(2) सभी संबंधित विभाग या प्राधिकारी कार्यवाही करने के लिए और अपेक्षित अनुज्ञा जारी करने के लिए ऐसा आवेदन प्ररूप स्वीकार करेंगे।
- स्वप्रमाणन
7. (1) प्रत्येक उद्यमी, नोडल एजेंसी को आवेदन प्ररूप प्रस्तुत करने के समय, ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाये, नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित किया गया एक स्व-प्रमाणन देगा कि वह सुसंगत विधियों के लागू होने योग्य उपबंधों का अनुपालन करेगा। शपथ पत्र ऐसे प्ररूप पर दिया जायेगा, जैसा सरकार द्वारा विहित किया जाय।
(2) उद्यमी द्वारा दिया गया स्वप्रमाणन प्रत्येक विभाग व प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञापन जारी करने व मंजूरी करने के उद्देश्य के लिए एवं उद्यमियों का अन्य लाभ दिये जाने के लिए स्वीकार किया जायेगा।
- आवेदन प्रस्तुत करने एवं निस्तारण करने की प्रक्रिया
8. (1) आवेदन प्ररूप और अनुज्ञापन के लिए शुल्क :-
(क) कोई भी आवेदक, जो उत्तराखण्ड राज्य में एक उद्यम स्थापित करने का इच्छुक हो, ऐसे संयुक्त आवेदन पत्र पर ऐसी फीस के साथ, जो सरकार द्वारा विहित की जाय, नोडल एजेंसी को आवेदन करेगा,
(ख) शुल्क, जैसा कि ऊपर विहित किया गया है, किसी प्राधिकारी अथवा विभाग द्वारा किसी केन्द्रीय कानून के अन्तर्गत विहित शुल्क यदि को हो, के अतिरिक्त होगा और आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा उस नियम के अन्तर्गत विहित हो,
(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/शारीरिक रूप से विकलांक श्रेणी के आवेदकों को राज्य सरकार द्वारा शुल्क से समुचित छूट हेतु अधिसूचित किया जा सकेगा और सूक्ष्म उद्यम शुल्क भुगतान से मुक्त रखे जा सकेंगे।
- शुल्क की दर—
- | | | |
|-------------|---|---------------|
| • लघु | - | रूपये 1000/- |
| • मध्यम | - | रूपये 5000/- |
| • बृहत/भारी | - | रूपये 10000/- |
- (2) अनुज्ञापन के लिए आवेदन की प्राप्ति के बाद नोडल एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं संतुष्ट होगा कि आवेदक द्वारा दिया गया आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है, यदि ऐसा है,

तो वह आवेदन प्राप्ति के संकेत के रूप में एक पावती देगा।

- (3) नोडल एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पावती दिये जाने के बाद वह आवेदन पत्रिका में अनुज्ञापनों के लिए आवेदन की प्रवृष्टि करेगा। प्रत्येक कार्यदिवस के अंत में नोडल एजेंसी के प्रमुख द्वारा आवेदनों की पत्रिका की जांच की जाएगी और सही होना प्रमाणित किया जायेगा।
- (4) सम्बन्धित सक्षम अधिकारी को धारा 10 में विहित कालावधि के भीतर-भीतर आवेदन-पत्र के सुसंगत भाग भेजे जाएंगे।
- (5) सम्बन्धित सक्षम अधिकारी धारा 10 में विहित कालावधि के भीतर-भीतर आवेदन-पत्र पर कार्यवाही करेगा और अपने निर्णय से नोडल एजेंसी को अवगत करायेगा।
- (6) सक्षम विभाग या प्राधिकारी विहित कालावधि में नोडल एजेंसी द्वारा मांगी गई टिप्पणी देगा और यदि सम्बन्धित विभाग या प्राधिकारी उपर्युक्त कालावधि के भीतर-भीतर टिप्पणी प्रदान करने में विफल रहता है, यह समझा जायेगा कि संबंधित विभाग या प्राधिकारी को आवेदन पर अनुज्ञापन देने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है।
- (7) अतिरिक्त सूचना मांगने के लिए सक्षम प्राधिकारी की शक्ति -
 - (क) अपने निर्णय से अवगत कराने से पूर्व सक्षम अधिकारी यदि आवेदक से कोई अतिरिक्त सूचना मांगना आवश्यक समझता है, तो अनुज्ञा के लिए आवेदन की प्राप्ति के बाद धारा 10 में विहित कालावधि के भीतर-भीतर नोडल एजेंसी को सूचना देते हुए उसको मांग सकता है;
 - (ख) इस संदर्भ में सक्षम अधिकारी द्वारा चाही गई अतिरिक्त सूचना, आवेदक द्वारा सीधे सक्षम अधिकारी को नोडल एजेंसी को सूचित करते हुए निहित कालावधि के भीतर-भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। हालांकि ऐसी अतिरिक्त सूचना केवल एक बार ही मांगी जायेगी और न कि टुकड़ों में बार-बार;
 - (ग) कोई अतिरिक्त सूचना मांगे जाने की स्थिति से सक्षम प्राधिकारी द्वारा नोडल एजेंसी को निर्णय से अवगत कराने के निर्धारित समय की गुणना अतिरिक्त सूचना प्राप्त होने की तिथि से की जायेगी;
 - (घ) ऐसी स्थिति में यदि नोडल एजेंसी द्वारा यह पाया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा चाही गई सूचना अनापेक्षित है या यह उपरोक्त खण्ड (क) के अन्तर्गत निहित समय के बाद चाही गई है, तो यह समझा जायेगा कि अतिरिक्त सूचना की कोई भी आवश्यकता नहीं थी और निर्णय से अवगत कराने की कालावधि की गणना अनुज्ञापन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की मूल तिथि से की जायेगी;
 - (ङ) सम्बन्धित नोडल एजेंसियों द्वारा आवेदनों की अनुज्ञाओं की प्रारिस्थिति की आख्या

राज्य प्राधिकृत समिति या यथास्थिति जिला प्राधिकृत समिति के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी;

(च) राज्य प्राधिकृत समिति या यथास्थिति जिला प्राधिकृत समिति क्रमशः अपनी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के निर्णय से अवगत करायेगी;

(छ) आवेदनों की अनुज्ञापनों की प्रारिथति की निगरानी माह में 01 बार राज्य प्राधिकृत समिति या यथास्थिति जिला प्राधिकृत समिति द्वारा की जायेगी।

डीम्ड स्वीकृति

9.

प्रत्येक विभाग या प्राधिकारी किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वीकृतियां जारी करेगा। जिन मामलों में आवेदक निर्धारित अहंता, शर्त इत्यादि पूर्ण करते हैं और यदि सम्बन्धित विभाग या प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञापण/स्वीकृतियां जारी किये जाने में विलम्ब किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे अनुज्ञापन जारी होना समझे जायेंगे। ऐसे प्रकरणों में विभाग द्वारा पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जायेगी।

आवेदन पर कार्यवाही करने के लिए समय सीमा

10.

- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी उत्तराखण्ड विधि, नीति या आदेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदनों पर कार्यवाही करने और उनके निपटार के लिए समय-सीमा विहित कर सकेगी।
- (2) सरकार, नोडल एजेंसी के लिए आवेदन पर कार्यवाही करने और सक्षम प्राधिकारी से टिप्पणियों के लिए और उनको राज्य प्राधिकृत समिति या, यथास्थिति प्राधिकृत समिति को प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा विहित कर सकेगी।
- (3) सरकार, राज्य प्राधिकृत समिति के लिए, इसकी सिफारिशें मंत्रि-परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा विहित कर सकेगी।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति

11.

प्रत्येक सक्षम प्राधिकारी अपने से सम्बन्धित किसी भी मामले की सूचना देने की दृष्टि से अपने प्रधान कार्यालय और प्रत्येक जिले में भी जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा।

सम्बन्धित विभाग या प्राधिकारी की वाज्यताए

12.

- (1) सक्षम प्राधिकारी नोडल एजेंसी द्वारा उसको अग्रंथित किये गये आवेदन पर धारा 10 के अधीन विहित कालावधि के भीतर-भीतर विचार करेगा और उसका निपटारा करेगा।
- (2) सम्बन्धित विभाग या प्राधिकारी यथा विहित कालावधि के भीतर-भीतर धारा 5 के खण्ड (छ) के अधीन नोडल एजेंसी द्वारा चाही गई टिप्पणियां उपलब्ध करावेगा और यदि सम्बन्धित विभाग या प्राधिकारी पूर्वोक्त कालावधि के भीतर-भीतर टिप्पणियां उपलब्ध कराने में विफल रहता है, तो यह समझा जायेगा कि धारा 14 में दया उल्लिखित

अध्यक्षित शिथिलीकरणों, छूटों और रियायतों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग या प्राधिकारी का कोई आक्षेप या सुझाव नहीं है।

- अनुज्ञापन के लिए
आवेदन के निस्तारण
में विलम्ब
13. (1) राज्य प्राधिकृत समिति या यथास्थिति जिला प्राधिकृत समिति के संज्ञान में यह आने की दशा में कि सक्षम प्राधिकारी के किसी अधिकारी, या कार्मिक ने आवेदनों के अनुज्ञापन हेतु निपटारे में बिना किसी औचित्यपूर्ण आधार या किसी तुच्छ या द्वेषपूर्ण आधार पर विलम्ब किया है, तो वे, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु एवं सुसंगत नियम के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्य करने हेतु उचित आदेश निर्गत कर सकती हैं।
- (2) इस धारा के उपधारा (1) के अन्तर्गत आदेश निर्गत होने के बाद आदेश प्राप्ति के 15 दिन के भीतर-भीतर सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी, दोषी अधिकारी या कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।
- अनुकूलित पैकेजों,
रियायतों, छूटों या
शिथिलीकरण की
मंजूरी
14. जहां सरकार या उसके अधीनस्थ कोई भी अन्य प्राधिकारी ऐसे अनुकूलित पैकेज, रियायतें, छूटें या शिथिलीकरण मंजूर करने के लिए किसी भी उत्तराखण्ड विधि के अधीन सशक्त किया गया हो, वहां सरकार, राज्य में विधिधान को सुकर बनाने की दृष्टि से, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, राज्य में किसी उद्यम या उद्यमों के प्रवर्ग को अनुकूलित पैकेज, रियायतें, छूटें या शिथिलीकरण मंजूर कर सकेंगी।
- रियायतों की वसूली
15. (1) किसी उद्यमी द्वारा, इच्छा पत्र अथवा सहमति पत्र जिसके अनुसार रियायत दी गई हो, की किसी शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में इस प्रकार दी गई रियायत की राशि वसूल कर ली जायेगी। हालांकि इस नियम के अन्तर्गत तब तक कोई वसूली नहीं की जायेगी जब तक कि निदेशक उद्योग द्वारा इस संदर्भ में एक आदेश निर्गत नहीं किया गया हो।
- (2) इस धारा के उपधारा (1) में उल्लिखित एक आदेश निर्गत करने से पूर्व निदेशक उद्योग दोषी उद्यमी को एक सुनवाई का अवसर देंगे।
- अपील
16. कोई भी विनिधानकर्ता -
- (1) सक्षम प्राधिकारी के आदेशों से व्यथित होने पर राज्य सशत समिति को,
- (2) जिला प्राधिकृत समिति के आदेशों से व्यथित होने पर राज्य प्राधिकृत समिति को
- (3) राज्य प्राधिकृत समिति के आदेशों से व्यथित होने पर सरकार को,
- अपील किये जाने वाले आदेश की विनिधानकर्ता द्वारा प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर अपील कर सकेगा।

दण्ड

17. (1) कोई भी उद्यमी, जो नोटल एजेंसी या दूसरे विभाग या प्राधिकारियों को दिये गये स्वप्रमाणन की शर्तों या शपथ का पालन करने में विफल रहता है, दोष सिद्ध होने पर जुर्माने के दण्ड योग्य होगा, जो पहले अपराध पर रुपये 5000.00 तक हो सकता है और दूसरे या अधिक अपराधों के लिए रुपये 10000.00 तक जुर्माना हो सकता है।
- (2) इस अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही में विलम्ब करने के लिए सम्बन्धित उत्तरदायी लोकसेवक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही का प्राविधान होगा।

कम्पनियों आदि
द्वारा अपराध

18. (1) इस अधिनियम के अधीन कम्पनी द्वारा किया गया अपराध, कम्पनी के साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध घटित होने के समय कम्पनी के कार्यों के लिए प्रभारी हो और उत्तराधिकारी हो, अपराध के लिए दोषी समझा जायेगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्डित होने योग्य होगा :

परन्तु यह कि इस उपधारा में कुछ भी अन्तर्विष्ट न हो किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड देने योग्य नहीं होगा, यदि वह सिद्ध करता है कि अपराध बिना उसके संज्ञान के हुआ या उसने सम्पूर्ण उचित प्रयास किये थे, ऐसे अपराध को घटित होने से रोकने के लिए।

- (2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन, सहमति या मिलीभगत से किया गया अपराध या किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की ओर से हुई लापरवाही के कारण घटित अपराध के लिए निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी, उस अपराध के लिए दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्डित होने योग्य होंगे।

स्पष्टीकरण :- इस धारा के उद्देश्यों के लिए -

- (क) "कम्पनी" से किसी भी कॉरपोरेट और एक फर्म या व्यक्तियों के दूसरे संघों से अभिप्रेत है,
- (ख) "निदेशक" एक फर्म के सम्बन्ध में भागीदार या फर्म में मालिक से अभिप्रेत है।

पुनरीक्षण

19. (1) किसी उत्तराखण्ड विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी सरकार, या तो स्वप्रेरणा से या उसको इस निमित्त किये गये आवेदन पर, किसी भी सक्षम प्राधिकारी या राज्य प्राधिकृत समिति या किसी जिला प्राधिकृत समिति के समक्ष की किसी कार्यवाही का अभिलेख गंगवा सकेगी और उसमें की कार्यवाहियों या उसमें पारित आदेशों के औचित्य का परीक्षण कर सकेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदेश लोकनीति के विरुद्ध नहीं है, न ही विधि के उपबंधों के विरुद्ध है और उनमें अनुज्ञाओं के लिए

आवेदन के नामजूर किये जाने के मामलों में, इस प्रकार पुनरीक्षित किये जाने वाले आदेशों के जारी होने के एक वर्ष के भीतर-भीतर और अनुज्ञाओं की मंजूरी के मामलों में तीन मास के भीतर-भीतर, ऐसे आदेश कर सकेगी, जो वह ठीक समझे।

(2) इस धारा के अधीन सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश अंतिम होंगे और समस्त संबंधित पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे।

सदभावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण 20. राज्य प्राधिकृत समिति या जिला प्राधिकृत समिति के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों या ऐसी समिति के निदेश के अधीन कार्य करने वाले सरकार के किसी कर्मचारी के विरुद्ध ऐसी किसी बात के संबंध में कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन सदभावपूर्वक की जाये या की जाने के लिए आशयित हो।

गोपनीयता 21. सरकार की कोई भी एजेन्सी या प्राधिकारी या कोई भी स्थानीय प्राधिकारी जिसमें उसके अधीन के कृत्यकारी सम्मिलित हैं, विनिधानकर्ता की बौद्धिक सम्पत्ति का निर्माण करने वाली किसी भी सूचना को ऐसे विनिधानकर्ता की सहमति के बिना किसी अन्य विनिधानकर्ता या सम्यक् रूप से प्राधिकृत न किये गये किसी भी व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा।

परन्तु यह कि राज्य में किये गये विनिधान के निबंधन और शर्तों तथा सरकार या उसकी किन्हीं भी एजेंसियों या प्राधिकारियों में से किसी के द्वारा या किसी भी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विनिधानकर्ता को उपलब्ध करायी गयी सुविधाएं, यदि कोई हों, के सम्बन्ध में समस्त सूचना सरकार द्वारा जनता को सूचना के लिए अधिसूचित की जायेगी।

अन्तःकालीन उपबन्ध 22. इस अधिनियम के उपबंध ऐसे सभी विनिधान प्रस्तावों पर लागू होंगे, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को सरकार या उसकी एजेंसियों, प्राधिकारियों या उपक्रमों में से किसी के विचाराधीन रहे हैं, यदि सम्बन्धित विनिधानकर्ता विहित प्रारूप और रीति में नोडल एजेंसी को आवेदन प्रस्तुत करके ऐसा विकल्प देता है।

अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोधी होना 23. इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य उत्तराखण्ड विधि, या ऐसी किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी रूढ़ि या प्रथा या किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होने पर भी, अध्यारोधी प्रभाव रखेंगे।

कठिनाइयों के
निराकरण की शक्ति

24. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार, राज-पत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकती, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो उसे ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

- (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके द्वारा इस प्रकार किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

नियम बनाने की
शक्ति

25. (1) सरकार, साधारणतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती।

- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में सनाविष्ट हो सकती, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र के अवसान के पूर्व, राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण, उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

आज्ञा से,

डी० पी० गैरोला,
प्रमुख सचिव।

No. 30/XXXVII(3)/2013/62(1)/2012

Dated Dehradun, January 28, 2013

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance Act, 2012' (Adhiniyam Sankhya 05 of 2013).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 24 January, 2013.

The Uttarakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance Act, 2012
[Uttarakhand Act No. 05 of 2013]

An

Act

for provide necessary time bound licence, permissions and sanctions to the establishment of industry in the State of Uttarakhand;

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows :-

- | | |
|---|---|
| Short title,
extent and
Commencement | 1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance Act, 2012.
(2) It shall extend to the whole of the State of Uttarakhand.
(3) It shall come into force with effect from the date of notification in the official Gazette. |
| Definitions | 2. In this Act, unless the context otherwise requires-
(a) "Act" means the Uttarakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance Act, 2012;
(b) "Government" means the State Government of Uttarakhand;
(c) "Enterprise" means an industrial undertaking or a business concern or any other establishment, by whatever name called engaged in the manufacture or production of goods, in any manner, or engaged in providing or rendering of any service or services;
(d) "District Empowered Committee" means the District Empowered Committee constituted under section 3;
(e) "State" means the State of Uttarakhand;
(f) "State Empowered Committee" means the State Empowered Committee constituted under section 3;
(g) "Nodal Agency" means the Nodal Agencies referred to in section 4.
(h) "Investor" means any person who invests capital in any new enterprise or in an existing enterprise for expanding, modernizing or diversifying for securing income or profit or common social good;
(i) "Notification" means a notification published in the Uttarakhand |

Gazette and the word 'notified' shall be construed accordingly;

- (j) "Permission" means grant or issue of permission, no-objection certificate, clearance, allotment, consent, approval, registration, enrolment, license and the like, by any Competent Authority in connection with the setting up of an enterprise in the State of Uttarakhand and shall include all such permissions as are required under any Uttarakhand law until the enterprise commences its operation;
- (k) "Prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;
- (l) "concession" means the facility or incentive, given by the State Government to an industrial undertaking or group of industrial undertakings;
- (m) "Competent Authority" means any department or agency of the Government, Local authority, statutory body, State owned Corporation, Gram Panchayat, Municipalities, or any authority or agency under administrative control of the Government which is entrusted with the powers and responsibilities to grant or issue permissions for setting up or commencement of operations of an enterprise in the State.

Constitution
and
Jurisdiction
of State
Empowered
Committee
and District
Empowered
Committee

3. (1) The Government may by notification constitute a State Empowered Committee at the State level and District Empowered Committee for each District of the State consisting of such members as may be specified therein.
- (2) Jurisdiction of the State Empowered Committee and the District Empowered Committee- The class of investment for which or investment limits up to which the State Empowered Committee or a District Empowered Committee shall have jurisdiction to consider and dispose off applications for permission shall be such as may be prescribed by State Government.
- (3) Member of the Committee shall personally attend the meeting and in case he is unable to attend the meeting, he shall depute a senior level officer to attend the meeting with a written authorization to take

appropriate decision in the meeting.

- (4) (a) The State Empowered Committee, or as the case may be, District Empowered Committee, shall examine the proposals for setting up any enterprise and shall take a decision and communicate its decision to the entrepreneur and the concerned departments or authorities within such time as may be prescribed by State Govt.
- (b) The Committee shall meet at such times and in such places and shall adopt such procedure to transact its business as may be prescribed;
- (c) The State Empowered Committee shall examine the applications for giving concessions or grant exemption or relaxation from the provisions of any State law, take into consideration the comments of the departments, if any, hold discussions with the investors, wherever necessary and make recommendations to the Government.

- Nodal Agency 4. (1) The State Udyog Mitra cell in the Directorate of Industries shall be the Nodal Agency for the State Empowered Committee.
- (2) The District Industries Centers shall be the Nodal Agency for the District Empowered Committee.

- Powers and functions of Nodal Agency 5. (1) Subject to the superintendence, direction and control of the Government and the State Empowered Committee or the District Empowered Committee, as the case may be, the powers and functions of the Nodal Agency shall be as follows:-
- (a) the Committee shall be the final authority in granting approvals for the projects placed before it. The approvals given by the Committee shall be binding on all the concerned departments or authorities and such departments or authorities, shall issue the required clearances within the stipulated time and subject to compliances by the entrepreneur of the provisions of the applicable Central or State Act and the rules made thereunder;
- (b) notwithstanding anything contained in any Uttarakhand law, the

State Empowered Committee or, as the case may be, the District Empowered Committee shall, in case the Competent Authority has failed to process and dispose off such applications within the period prescribed under section 10, has the power to consider and dispose off applications for permission under Uttarakhand law. For this purpose, references to the Competent Authority in such law shall be construed as including reference to the State Empowered Committee or, as the case may be, the District Empowered Committee :

Provided that where the Committee is unable to meet or otherwise unable to consider the application immediately, the Chair person of the concerned Committee may, for reasons to be recorded in writing, decide the application and report the action taken to the Committee in its next meeting and the decision of the Chairperson, subject to any decision of the committee, on such application shall for all purposes be deemed to be the decisions of concerned Committee under this section;

- (c) to assist the investors in completing the application forms, to acknowledge completed applications and forward such application to the concerned Competent Authorities for processing and disposal within the period specified under section 10;
- (d) to monitor the status of applications and place the report of the status of applications before the State Empowered Committee or the District Empowered Committee, as the case may be;
- (e) to place the application of the investor before the State Empowered Committee or the District Empowered Committee, as the case may be, for its decision, where the concerned Competent Authority has failed to consider and dispose off the application within the period prescribed under section 10;
- (f) to receive applications for relaxations, exemptions and concessions as mentioned at section 14 from the investor;

- (g) to seek comments of the concerned departments or authorities on the application for relaxations, exemptions and concessions as mentioned at section 14 received from the investor;
 - (h) to submit the comments of the concerned department or authority, if any, to the State Empowered Committee within such period prescribed under section 10;
 - (i) to submit the application for relaxations, exemptions and concessions as mentioned at section 13, received from the investor to the State Empowered Committee within such period prescribed under section 14, in case no comments are received from the concerned department authorities in the prescribed time period;
 - (j) to provide secretarial support to the State Empowered Committee, or as the case may be, District Empowered Committee;
 - (k) to promote environment friendly and cleaner technology and production practices;
 - (l) the State Empowered Committee and the District Empowered Committee may be assigned such other functions as may be prescribed.
- (2) The State level Nodal agency shall also perform functions referred to in sub-section (1) and in addition prepare and regularly update an entrepreneurs guide providing complete particulars relating to:-
- (a) State and Central Industrial policies.
 - (b) Procedure to obtain the required clearances from the department and authorities.
 - (c) Information on industrial status and advantages existing in the State.
 - (d) Salient features of Act and the rules made there under applicable to an industrial undertaking, and
 - (e) Any other information useful to the entrepreneurs.

- Combined Application form**
6. (1) The Government shall be competent to prescribe an application form, either in physical or electronic format, which may consist of:-
- forms under Central laws; and
 - Existing forms or new forms in lieu of existing forms or modified forms under Uttarakhand laws.
- (2) All departments or authorities concerned shall accept such application form for processing and issue of required permission.
- Self Certification**
7. (1) Every entrepreneur shall furnish a 'Self Certification' duly attested by Notary Public at the time of submitting Application Form to the Nodal Agency, in such form as may be prescribed, that he shall comply with the applicable provisions of the relevant laws. The undertaking shall be furnished in such form as may be prescribed by the Government.
- (2) The self certification furnished by the entrepreneur shall be accepted by the departments and authorities for the purpose of issuing and granting clearance and giving other benefits to the entrepreneur.
- Procedure for Filing and Disposal of application**
8. (1) Application form and fee for clearance:--
- any applicant, who desires to set up an enterprise in the State of Uttarakhand, shall apply in Combined Application Form along with a fee, as may be prescribed by the Government, to the Nodal Agency;
 - the fee, prescribed as above, shall be in addition to the fee, if any, prescribed under any Central law by any authority or department, and shall be submitted along with the form, prescribed by any such authority under that law;
 - suitable exemption from fee may be notified by the Government for applicants belonging to SC/ST/Women/ Physically Handicapped categories and Micro Enterprises may also be exempted from paying the fee.

Rates for fee:--

- Small : Rs. 1000/-

- Medium : Rs. 5000/-
- Large/Heavy : Rs. 10000/-

- (2) After the receipt of application for clearances, the authorized representative of the Nodal Agency shall satisfy himself that the application given by the applicant is complete in all respect. If it is so, he shall give an acknowledgement in token of the receipt of the application.
- (3) After an acknowledgement is given by the authorized representative of the Nodal Agency, he shall enter the application for clearances in the register of applications. The register of applications shall be checked up and certified to be correct by the Head of the Nodal Agency at the end of each working day.
- (4) The relevant parts of the application form shall be sent to the concerned Competent Authority within a period as prescribed under section 10.
- (5) The concerned Competent Authority shall process application form and communicate its decision to the Nodal Agency within the period, as prescribed under section 10.
- (6) The concerned department or authority shall provide comments sought by the Nodal Agency, within the period as prescribed, and, if the concerned department or authority fails to provide comments within the aforesaid period, it shall be deemed that the concerned department or authority has no objection regarding the application for clearance.
- (7) Power of Competent Authority to call for additional information:-
 - (a) before communicating its decision, if the Competent Authority deems it necessary to ask for any additional information from the applicant, it may seek the same within a period as prescribed under section-10 after the receipt of application for clearances under intimation to the Nodal Agency;
 - (b) the additional information, sought, shall be furnished by the applicant direct to the Competent Authority under intimation to the Nodal Agency within the period, specified in this regard by

- the competent authority. However, such additional information would be sought once only, and not time and again in piecemeal;
- (c) in the case of seeking any additional information, the period, specified for communicating the decision by the competent authority to Nodal Agency, shall be counted from the date of receipt of additional information;
- (d) in case, it is found by the Nodal Agency that the additional information, sought by the Competent Authority, is uncalled for or the same is sought after the expiry of the period, specified under clause (a) above, then it shall be construed that the additional information was not required at all, and the period for communicating the decision in this regard, shall be reckoned from the date, the application for clearances was originally submitted;
- (e) the status report of the applications for clearances shall be placed before The State Empowered Committee, or as the case may be, District Empowered Committee by the respective Nodal Agencies;
- (f) the State Empowered Committee, or as the case may be, District Empowered Committee shall respectively, communicate its decision of approval or rejection;
- (g) the status report of the applications for clearances shall be monitored by The State Empowered Committee, or as the case may be, District Empowered Committee once in a month.

Deemed
approval

9. Every department or authority notwithstanding anything contained in any other law shall issue clearance within the stipulated time limit. If the cases in which application fulfills all prescribed eligibility and terms, the concerned Departments or authorities have delayed issuing approval/clearance, in that case such clearances shall be deemed to have been issued. In such cases total transparency would be ensured by the Department.

- Time limits for processing of application** 10. (1) Notwithstanding anything contained in any Uttarakhand law, Policy or Orders for the time being in force, the Government may prescribe time limit for processing and disposal of applications by the competent authority.
- (2) The Government may prescribe time limit for nodal agency to process the application and the comments from the competent authority, and submissions of the same to the State Empowered Committee and District Empowered Committee, as the case may be.
- (3) The Government may prescribe time limit for the State Empowered Committee for submitting its recommendations to the Council of Ministers.
- Appointment of a Nodal Officer by Competent Authority** 11. With a view to furnish information on any matter relating thereto, every competent authority shall appoint a Nodal Officer at its Head Office and also at the District level in each District.
- Obligations of concerned department or authority** 12. (1) The Competent Authority shall consider and dispose off the application forwarded to it by the Nodal Agency within the period prescribed under section 10.
- (2) The concerned department or authority shall provide comments sought by the Nodal Agency under clause (g) of section 5, within the period as prescribed, and, if the concerned department or authority fails to provide comments within the aforesaid period, it shall be deemed that the concerned department or authority has no objection or suggestion regarding the requisite relaxations, exemptions and concessions as mentioned at section 14.
- Delay in processing the applications for clearance** 13. (1) In case, it comes to the notice of The State Empowered Committee, or as the case may be, District Empowered Committee, that any officer or official of the concerned Competent Authority has delayed in disposing of the application for clearances without any reasonable ground or on any frivolous or malicious ground, it may

pass an appropriate order in this regard for initiating departmental proceedings against such officer or official by the concerned Competent Authority and for taking disciplinary action under relevant rules.

- (2) After an order is passed under sub-section (1) of this section, the concerned Competent Authority shall initiate disciplinary proceedings against the delinquent officer or official within a period of fifteen days from the date of receipt of the order.

Grant of
customized
packages,
concessions,
exemptions or
relaxations

14. The Government may, with a view to facilitate investment in the State, grant customized packages, concessions, exemptions or relaxations to any enterprise or category of enterprises in the State, subject to such conditions as it may deem fit, where the Government, or any other authority subordinate to it, is empowered under any Uttarakhand law to grant such customized packages, concessions, exemptions or relaxations.

Recovery of
concession

15. (1) In case any enterprise contravenes any of the conditions of the letter of intent or agreement, under which the concession was granted to it, the amount of the concession so granted, shall be recovered. However, no recovery under this sub-rule shall be made, unless an order in this regard is passed by the Director of Industries.
- (2) Before passing an order, referred to in sub-section (1) of this section, the Director of Industries shall give an opportunity of being heard to the defaulting enterprise.

Appeal

16. Any investor aggrieved by the orders of :-
- (1) The Competent Authority may appeal to the State Empowered Committee.
- (2) The District Empowered Committee may appeal to the State Empowered Committee.
- (3) The State Empowered Committee may appeal to the Government.

Within thirty days from the date of the receipt by the investor of the order appealed against.

Penalty

17. (1) Any entrepreneur who fails to comply with the conditions or undertaking in the self certification given to the Nodal Agency or other department or authorities shall on conviction be punishable with fine which may extend to five thousand rupees for the first offence and for the second or subsequent offence with fine which may extend to ten thousand rupees.
- (2) For the delay in implementing the provisions of this Act, there would be punishment action against concerned responsible officers.

Offences by
companies
etc.

18. (1) Where an offence under this Act is committed by a company, the company, as well as every person in charge of and responsible to, the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercise all due diligence to prevent the commission of such offence.

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where an offence under this Act has been committed with the consent or connivance of, or that commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any director, manager secretary or other officer such Director, Manager, Secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation:- For the purposes of this section:

- (a) "Company" means anybody, corporate and includes a firm or other association of individuals; and
- (b) "Director" in relation to a firm means a partner or proprietor in the firm.

Revision 19. (1) Notwithstanding anything contained in any Uttarakhand law, the Government may, either suo moto or on an application made to it in this behalf, call for the record of any proceeding before any Competent Authority or the State Empowered Committee or a District Empowered Committee and examine the propriety of the proceedings or orders passed therein so as to ensure that the orders are not against public policy nor against the provisions of law and make therein such orders as it may think fit within one year of issuance of the orders being so revised in cases of rejection of the application for permissions and within three months in cases of grant of permissions.

(2) The orders passed by the Government under this section shall be final and shall be binding on all concerned.

Protection of action taken in good faith 20. No suit, prosecution or legal proceedings shall lie against the Chairperson or other members of State Empowered Committee or District Empowered Committee or any employee of the Government Act under the direction of such committee in respect of anything which, in good faith, is done or intended to be done under this Act or any rules made thereunder.

Confidentiality 21. No agency or authority of the Government or, any local authority, including any functionaries thereunder, shall disclose to any other investor or to a person not duly authorized, any information forming the intellectual property of the investor without the consent of such investor :

Provided that all information in respect of the terms and conditions of the investment is made in the State and the facilities, if any, provided to the investor by the Government or any of its agencies or authorities, or by any local authority, shall be notified by the Government for information of the public.

Transitional Provisions 22. The provisions of this Act shall apply to all investment proposals that have been under consideration of the Government or any of its

agencies, authorities or undertakings on the date of commencement of this Act, if the concerned investor so opts by submitting an application to the Nodal Agency in the prescribed form and manner.

Act to
override
other
laws

23. Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall have overriding effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other Uttarakhand law, for the time being in force, or any custom or usage or any instrument having effect by virtue of any such law.

Power to
remove
difficulty

24. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no order under this section shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature.

Power to
make rules

25. (1) The Government may, by notification, make rules generally for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days, which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however that any modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done there under.

By Order,

D. P. GAIROLA,
Principal Secretary.